


वीरेंद्रा राणावत

12.11.25

कॉन्स
(वेरेंद्रा राणावत)
20/11/25
WR

पंजावली पेश हुई प्रार्थी द्वारा उपस्थित एफए
मूल बाद के साथ विडो किये जाने का कथन किया
गया। प्रार्थी द्वारा मूल बाद विडो किये जाने से
इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।
अतः प्रार्थन का स्वीकार न करारज किया
जाता है निर्णय लेख जलाल सुनाया गया। प्रकरण फाइल
शुद्ध होकर नम्बर से कम हो।


(अकुल सिंह कृष्ण)
IAS